रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270494
CG-DL-E-26022026-270494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947
No. 137]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 143(अ).—विस्फोटक नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर, उस तारीख से जिसको राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, निर्दिष्ट अवधि के भीतर निदेशक (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 252-ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

1. (1) इन नियमों को विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विस्फोटक नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 में:

(क) खंड (15) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

'(15क)"रक्षा विस्फोटक" का आशय ऐसे विस्फोटक से है जो रक्षा क्षेत्र के लिए है और जिसका विनिर्माण निजी विनिर्माता द्वारा किया जाता है';

(ख) खंड (35क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

'(35ख)"सूक्ष्म और लघु उद्यमों" का आशय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ज) और खंड (ड) में परिभाषित उद्यम से है';

(ग) खंड (54) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

'(54क) "स्टार्टअप" का आशय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ पंजीकृत कंपनी से है, जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित 19 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 127 (अ) के पैराग्राफ 1 के खंड (क) में परिभाषित किया गया है।"

(घ) खंड (61) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

'(61क) "महिला उद्यमी" का आशय ऐसे उद्यम से है, जो किसी महिला के स्वामित्व एवं नियंत्रण में हो तथा उस उद्यम की पूंजी में न्यूनतम 26 प्रतिशत की वित्तीय हिस्सेदारी हो;'

3. उक्त नियमों के नियम 5 में, उप-नियम 3 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(4) रक्षा विस्फोटकों के लिए, संबंधित एसटीईसी पैम्फलेट में वर्णित सुरक्षा दूरी लागू होगी।'

4. उक्त नियमों में नियम 9 के उप-नियम 1 में, "संस्थापित" शब्द के पश्चात "या प्रस्तावित नया" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 113 में, तालिका में, क्रम संख्या 26 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

1	2	3	4	5	6
"27	अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के प्रयोजन हेतु 5 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण एवं उपयोग की अनुमति {अनुमति (अनुसंधान एवं विकास)}	13	एई-13	i. कवरिंग लेटर ii. प्ररुप एई-13 iii. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। iv. पोर्टेबल मैगजीन में संग्रहीत मात्रा में विस्फोटकों का भंडारण। v. सुरक्षा प्रबंधन योजना। vi. अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में उपलब्ध अवसंरचना। अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्य हेतु। vii. विस्फोटकों को संभालने में अनुभव रखने वाला कार्यबल। viii. टोपो, साइट और लेआउट ड्राइंग। ix. आवेदक / फर्म के नाम पर	i. कवरिंग लेटर ii. प्ररुप एई-13 iii. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। iv. पोर्टेबल मैगजीन में संग्रहीत मात्रा में विस्फोटकों का भंडारण। v. सुरक्षा प्रबंधन योजना। vi. अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में उपलब्ध अवसंरचना। अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्य हेतु। vii. विस्फोटकों को संभालने में अनुभव रखने वाला कार्यबल। viii. टोपो, साइट और लेआउट ड्राइंग। ix. आवेदक / फर्म के नाम

				भूमि का विधिक कब्ज़ा। x. अधिभोगी द्वारा स्व-घोषणा जिसमें यह उल्लेख होगा कि सुविधा के विनिर्माण में एसटीईसी पैम्फलेट का अनुपालन किया गया है। xi. एमएसएमई के मामले में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्टार्टअप के मामले में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ पंजीकरण के दस्तावेजी साक्ष्य, या महिला उद्यमी के मामले में, फर्म या कंपनी के स्वामी या निदेशक के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य।	पर भूमि का विधिक कब्ज़ा। x. अधिभोगी द्वारा स्व-घोषणा जिसमें यह उल्लेख होगा कि सुविधा के विनिर्माण में एसटीईसी पैम्फलेट का अनुपालन किया गया है। xi. एमएसएमई के मामले में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्टार्टअप के मामले में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ पंजीकरण के दस्तावेजी साक्ष्य, या महिला उद्यमी के मामले में, फर्म या कंपनी के स्वामी या निदेशक के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य।

6. उक्त नियमों की अनुसूची IV में, भाग-I केअनुच्छेद संख्या 12 के बाद, तालिका में और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित अनुच्छेद और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

1	2	3	4
"13	अनुसंधान एवं विकास के प्रयोजन हेतु5 किलोग्राम से अनधिक मात्रा के विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण और उपयोग की अनुमति {अनुमति (अनुसंधान और विकास)}	एई-13	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

7. उक्त नियमों की अनुसूची V में, भाग 1 के, प्रपत्र एई-12 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररुप को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"प्ररुप एई-13

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखें)

अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन हेतु 5 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण एवं उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन पत्र।

कृपया अधिभोगी का हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ सामने हस्ताक्षर हुए चिपकाएं।

1. आवेदक का प्रकार: व्यक्तिगत ☐ कंपनी ☐ भागीदारी फर्म ☐ सोसाइटी

स्वामित्व वाली फर्म ☐

2. आवेदक का विवरण :

(क) जिस नाम से अनुमति अपेक्षित है (नीचे दिए गए टिप्पण को देखें) --

(ख) आधार नं. / सीआईएन नं. / फर्म की पंजीकरण सं. --

(ग) व्यक्ति के मामले में आयु --

(घ) डाक पता --

शहर......................... जिला.................. राज्य .... पिन कोड ....

एसडीटी कोड सहित फोन नं. .... मोबाइल नं. .... ई-मेल.............

3. प्रस्तावित परिसर का पता:

सर्वेक्षण/ जीएटी नं. / खसरा नं. ....

कस्बा/गांव................................

मंडल/तालुका/तहसील......................... रेलवे स्टेशन......................................

पुलिस स्टेशन...................................... जिला....................

राज्य........................ पिन कोड ....

4. **आवेदक तथा उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव।**

(व्यक्ति का विवरण दें तथा आवश्यकता होने पर पृथक शीट संलग्न करें)

विनिर्मित, भंडारण और उपयोग किए जाने वाले विस्फोटकों का विवरण:

प्रस्तावित उत्पाद (विस्फोटकों का नाम)	**वर्ग एवं श्रेणी**	**संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरणऔरसंख्या**	**मात्रा (किलोग्राम/संख्या/मीटर में)**

5. **अतिरिक्त जानकारी का विवरण, यदि कोई हो,** ....

6. **(क) यदि आवेदक ने पिछले 10 वर्षों के दौरानविस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत कोई अन्य लाइसेंस प्राप्त किए हैं, तो उसका विवरण**..

(ख) क्या कोई लाइसेंस रद्द किया गया था या उसका नवीनीकरण नहीं किया गया था? हां ☐ नहीं ☐ .... यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

7 (क)क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरानदंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय VIII के तहत किसी अपराध के तहत दोषी ठहराया गया है या जमानत (बॉन्ड) देने का आदेश दिया गया है? हां ☐ नहीं ☐

(ख) यदि हां, तो विवरण प्रदान करें ....

8 (क) क्या फर्म एमएसएमई, स्टार्टअप या महिला उद्यमी के अंतर्गत आती है? हां ☐ नहीं ☐

(ख) यदि हां, तो विवरण प्रदान करें और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

9. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सही है

तारीख:---------------

स्थान:------------

उपर्युक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम -------------------------------

(कंपनी के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति)

नोट: कृपया उद्देश्य संबंधी नियम और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज देखें।

(1) यदि आवेदन, संबंधित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो नियम 2 के अनुसार कब्जे से संबंधित व्यक्ति का नाम और पता तथा निदेशक या साझेदार या सदस्य, जैसा भी मामला हो, तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाएं।

(2) कब्जे से संबंधित व्यक्ति के पासपोर्ट आकार के हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाएंगी।

(3) उपर्युक्त जानकारी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी सूचना लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकरण और लाइसेंस का नवीनीकरण करने वाले प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।

वैधानिक चेतावनी: विस्फोटक पदार्थों को लापरवाही से संभालने और दुरुपयोग को कानून के तहत गंभीर दंडात्मक अपराध माना जाएगा।

अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के लिए अनुमति

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 9 देखें)

केवल अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन के लिए 5 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण और उपयोग की अनुमति हेतु

अनुमति संख्या……………………………

लाइसेंसधारक या अधिभोगी की फोटो हस्ताक्षर सहित

वार्षिक शुल्क………………………. रुपए

1. नाम:………………………………………………………………………….............. को एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:

पत्राचार का पता:……………………………………………………………..................................

……………………………………………………………………नगर………….......

......................जिला…………………………राज्य……………………पिनकोड………
…………...................

पुलिस स्टेशन…………………रेलवे स्टेशन/स्टीमर घाट ………………….............................

फोन…………………………ई-मेल…………………..फैक्स………………………......................

2. अनुमति धारक की स्थिति:………………………………………………………………..……………......

3. यह अनुमति निम्नलिखित प्रयोजन के लिए वैध है:

……………………………………………………………………………………………….......

4. यह अनुमति निम्नलिखित प्रकार और मात्रा के विस्फोटकों के लिए वैध है:

(नाम, विवरण, श्रेणी, खंड, उप-खंड, एक बार में मात्रा, एक माह में मात्रा और वार्षिक क्षमता, जो भी लागू हो)

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………....

5. अनुमति प्राप्त परिसर निम्नलिखित ड्राइंग के अनुरूप होने
चाहिए:

ड्राइंग संख्या.............………………… तारीख ....

ड्राइंग संख्या ………………… तारीख ....

ड्राइंग संख्या.............…………………तारीख ....

…..(हस्ताक्षर)

6. अनुमति प्राप्त परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है: नाम:

…………………………………………………………………………...

पत्राचार का पता :…………………………………………………………….......................................

…………………………………………………सर्वे संख्या. .... नगर

जिला…………………………राज्य……………………पिनकोड……………..
…....................

पुलिस स्टेशन…………………

रेलवे स्टेशन/स्टीमर घाट ………………….............................

फोन…………………………ई-मेल…………………..फैक्स………………………......................

7. अनुमति प्राप्त परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल होंगी
………………………………………………………………………………………………

8. यह अनुमतिसमय-समय पर यथासंशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए विस्फोटक नियम, 2008 एवं निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अनुबंधों के अध्यधीन दी जाती है :

(1) ड्राइंग (स्थल, निर्माण और अन्य विवरण दर्शाते हुए) जैसा कि ऊपर क्रम संख्या 5 में उल्लेख किया गया है।

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित इस अनुमति की शर्तें

(3) संबंधित एसटीईसी पैम्फलेट के अनुसार डिस्टैंस फॉर्म

9. यह अनुमति 31 मार्च, 20...... तक वैध रहेगी।

इस अनुमति को, अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या इस अनुमति की शर्तों के किसी भी उल्लंघन किए जाने पर या लाइसेंस प्राप्त परिसर को संलग्न योजनाओं और अनुबंध में दर्शाए गए विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक…………………………..........20….......... अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

पदनाम और मुहर

[मुख्य विस्फोटक नियंत्रक]

वैधानिक चेतावनी: विस्फोटकों के साथ लापरवाही और उनका दुरुपयोग करना कानून के तहत गंभीर दण्डात्मक अपराध होगा।

शर्तें: (मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट की जानी है)

लाइसेंसधारी प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

[मुख्य विस्फोटक नियंत्रक]

[फा.सं. 2(3)/2019-विस्फोटक-भाग (5)]

जय प्रकाश शिवहरे, संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 907 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि.65 (अ) तारीख 24 फरवरी, 2011, सा.का.नि. 772 (अ) तारीख 11 दिसंबर, 2013, सा.का.नि. 17 (अ) तारीख 09 जनवरी, 2019, सा.का.नि. 633 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2024 और सा.का.नि. 284 (अ) तारीख 24 अप्रैल, 2025 द्वारा इनमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2026

G.S.R. 143(E).— The draft of the following rules to amend the Explosives Rules, 2008, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after Thirty (30) days from the date on which the copies of Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 252A Udyog Bhavan, New Delhi –110 011 or email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

1. (1) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Explosives Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules),in rule 2: -

(a) after clause (15), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(15A) “Defense Explosives” means explosives which is meant for defense sector and manufactured by private manufacturers’;

(b) after clause (35A), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(35B) “Micro and Small Enterprises” means an enterprise defined in clause (h) and clause(m) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006’;

(c) after clause (54), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(54A) “startup” means an entity registered with the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry and as defined in clause (a) of Paragraph 1 of the Notification number G.S.R. 127(E), dated the 19th February, 2019, and as amended from time to time’;

(d) after clause (61), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(61A) “women entrepreneur” means an enterprise owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 26 percent of the capital’;

3. In rule 5 of the said rules, after sub-rule 3, the following clause shall be inserted, namely: -

‘(4) for defense explosives safety distances mentioned in the relevant STEC pamphlets shall be applicable.’

4. In rule 9, in sub-rule 1 of the said rules, after the word “established” the words “or proposed new” shall be inserted.

5. In rule 113 of the said rules, in the Table, after serial number 26 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

1	2	3	4	5	6
“27	Permission to manufacture, storage and use of explosives not exceeding 5 Kg. for R&D purpose {Permission (R&D)}	13	AE-13	i. Covering letter. ii. Form AE-13 iii. Detailed project report iv. Storage of explosives in quantity stored in a portable magazine. v. Safety management plan. vi. Infrastructure available in the R&D Lab. For R&D purpose. vii. Manpower having experience in handling of explosives. viii. Topo, site and layout drawing. ix. Legal possession of the land in the name of applicant/firm. x. A self declaration by the occupier stating that construction of the facility is in compliance with STEC pamphlets. xi. In case of MSME,certificate issued by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises or in case of Startup, documentary evidence towards registration with the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry or in case of Women Entrepreneur, documentary evidence towards Proprietor or Director of the firm or company.	i. Covering letter. ii. Form AE-13 iii. Detailed project report iv. Storage of explosives in quantity stored in a portable magazine. v. Safety management plan. vi. Infrastructure available in the R&D Lab. For R&D purpose. vii. Manpower having experience in handling of explosives. viii. Topo, site and layout drawing. ix. Legal possession of the land in the name of applicant/firm. x. A self declaration by the occupier stating that construction of the facility is in compliance with STEC pamphlets. xi. In case of MSME, certificate issued by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises or in case of Startup, documentary evidence towards registration with the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry or in case of Women Entrepreneur, documentary evidence towards Proprietor or Director of the firm or company.

6. In Schedule IV of the said rules, in part I, after article number 12, in the table, and the entries relating thereto, the following article and entries shall be inserted, namely: -

1	2	3	4
“13	Permission to manufacture, storage and use of explosives not exceeding 5 Kg. for R&D purpose {Permission (R&D)}	AE-13	Chief Controller of Explosives

7. In Schedule V of the said rules, in Part 1, after Form AE-12, the following Form shall be inserted, namely: -

"FORM AE-13

(See Rule 113 of Explosives Rules,2008)

APPLICATION FOR PERMISSION TO MANUFACTURE, STORAGE AND USE OF EXPLOSIVES NOT EXCEEDING 5 KG. FOR R&D PURPOSE

Please affix arecentpass portsizecol ourphotogr aphofoccup ierwithsign atureinfront

1. Type of applicant: Individual ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Society ☐ Proprietary Firm ☐

2. Applicant’s detail:

(a) Name in which Permission is sought (see note below)--

(b) AADHAR No/CIN No/Firm registration No --

(c) Age in case of individual --

(d) Postal address --

City -------------------------- District -------------------- State ------------------ PIN Code ------------------------------- -------------

Phone No with STD code ------------------------ Mobile No -------------------------- E-mail ------------------------------

3. Address of the proposed premises:

Survey /Gat No /Khasra No -- Town/Village ---

Mandal/Taluk/Tehsil -- Railway --

Station Police Station ----------------------------------- District ---

State-- PINCode ---

4. Qualification and experience of applicant and technical personnel employed by him.

(Give individual's details and attach separate sheet if required)

Details of explosives to be manufactured, storage and use :

Proposed Product (Name of explosives)	Class &Div.	UN classification & No.	Quantity (in Kg/Nos/ Mtrs)

5. Details of additional information if any ---
----

6. **(a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884**, if any held by the applicant during the last 10 years.--

----

(b) Was any licence cancelled or not renewed? Yes ☐ No ☐ If yes, give details --

7. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure,1973, during the last 10years? ☐ Yes ☐ No

(b) If yes, give details --

8. (a) Whether the firm falls under MSME, Startup or Women Entrepreneur ☐ Yes ☐ No

(b) If yes, give details and furnish supporting document--

----

9. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date:---------------

Place:--------------

Signature of applicant in the box above

Full name--------------------------------

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

(1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.

(2) Six copies of the pass port size signed colour photographs of the occupier to be attached.

(3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

PERMISSIONFOR R&D LABORATORIES

(See rule 9 of the Explosives Rules,2008)

"Permission to manufacture, storage and use of explosives not exceeding 5 Kg.for R&D purpose only Permission No.……………………………

Annual Fees Rs.……………………….

Spacefor Photographof thelicensee oroccupier withsignature

1. Permission is hereby granted to: Name:

………………………………………………………………………………..............

PostalAddress:……………………………………………………………….....................................………………………………
……………………City…………..............................District……………………………State…………………Pincode…………
……….....................

Police Station…………………Railway Station/SteamerGhat…………………...............................

Phone……………………………E-mail…………………...Fax……………………….......................

2. Status of permission holder:……………………………………………………………………...…………......

3. Permission is valid for the following purpose:

……………………………………………………………………………………………….......

4. Permission is valid for the following kinds and quantity of explosives :

(Name, description, Class, Division, sub-division, quantity at any one time, in a month and annual capacity as applicable)…………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………....

5. The permitted premises shall conform to the following drawing(s):

Drawing No.…………………………dated…………………

Drawing No.…………………………dated…………………

Drawing No.…………………………dated… .... (space for signature)

6. The permitted premises are situated at following address: Name:

……………………………………………………………………………..

PostalAddress:……………………………………………………………..

………………………………………………………Survey No. .... City

…………...........................District…………………………State……………………Pincode…..............................

PoliceStation…………………...

RailwayStation/SteamerGhat………………….

Phone…………………………E-mail...............................Fax…………………………

7. The permitted premises consis to ffollowing facilities:

………………………………………………………………………………………………

8. The Permission is granted subject to the provision of Explosives Act,1884 as amended from time to time and the Explosives Rules, 2008 framed thereunder and the conditions, and the following annexures :

(1) Drawings(showing site, constructional and other details)as stated in serial No.5 above.

(2) Conditions of this Permission signed by the licensing authority.

(3) Distance Form as per relevant STEC Pamphlets

9. This Permission shall remain valid till 31st day of March…20……………….

This Permission is liable to be suspended or revoked for any violation of the Act or rules framed thereunder or the conditions of this Permission or if the licensed premises are not found conforming to the description shown in the plans and annexure attached hereto.

The……………………...........20….................. Signature, Designation and Seal of Licensing Authority

[Chief Controller of Explosives]

Statutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

Conditions:(To be specified by the Chief Controller)

Signature, Designation and Seal of Licensing Authority

[Chief Controller of Explosives]

………………………

[F. No. 2(3)/2019-Expl-Part(5)]

JAI PRAKASH SHIVAHARE, Jt. Secy.

Note : The principal rule were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (i), vide notification number, G.S.R. 907 (E) dated the 29th December 2008 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 65 (E) dated 24th January, 2011, G.S.R. 772 (E), dated the 11th December, 2013, G.S.R. 17 (E) dated 9th January 2019, G.S.R. 633 (E) dated 11th October, 2024 and G.S.R. 284 (E) dated 24th April, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.26 11:20:54 +05'30'